P-1 | R.M.M. Law College - Saharsa.
Manoranjan Mandal, Part time Lecturer | Subject - contract - II, part - II

अभिकरण (Agency)

अभिकरण (Agency) और अभिकर्ता (Agent) लैटिन (Latin) भाषा के शब्द 'agentis' से लिया गया है, जिसका अर्थ है कर्ता (Actor or doer)। इस प्रकार अभिकरण शब्द ऐसे सम्बन्ध का वर्णन करता है, जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।"

धारा 182 अभिकर्ता एवं अभिकरण की परिभाषा (Definition of Agency)

अभिकरण दो व्यक्तियों के मध्य स्थापित एक सम्बन्ध है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे मालिक कहते हैं, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सहमति देता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले कार्य करता है। अभिकर्ता कहलाता है।

"Agency is relationship that exists between two person one of whom, the principal expressly or impliedly consent that the other agent similarly consenting should represent him act on his behalf."

ऐन्सन महोदय के अनुसार— "यद्यपि सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संविदा करके किसी तीसरे व्यक्ति को न तो अधिकार दे सकता है और न तो उत्तरदायित्व आरोपित कर सकता है। परन्तु नियोजन किये जाने पर वह उस उद्देश्य से अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि वह तीसरे पक्षकार से विधिक सम्बन्ध स्थापित करे। उस उद्देश्य के लिए नियोजन को अभिकरण कहते हैं।

"Although as a general rule, one can not by contract with another conferm on rights or impose liabilities upon a third party, yet he may represent another as being employed by him for the purpose of bringing into legal

P-2 अभिकरण (Agency)

relations with a third party. Employment for this Purpose is called Agency."

महेशचन्द्र बसु बनाम तिलकराम के वाद में अभिकरण की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

"एक अभिकर्ता अपने स्वामी से, दूसरे व्यक्ति के साथ संविदात्मक सम्बन्ध उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करता है।" यह शक्ति ही अभिकरण का मुख्य तत्व है।

अभिकरण और अभिकर्ता के शाब्दिक अर्थ और इसके विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से मालिक और अभिकर्ता के सम्बन्ध को अभिकरण कहते हैं। अभिकरण में अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है।

जो कार्य अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक की ओर से किया जाता है वह उसके प्राधिकार क्षेत्र में होता है, वह मालिक पर बन्धनकारी होता है। धारा 230 स्पष्ट रूप से उपबन्ध करती है कि किसी तत्प्रभावी संविदा के अभाव में कोई भी अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदा का प्रवर्तन वैयक्तिक रूप से नहीं कर सकता है और न व्यक्तिगत रूप से उनसे आबद्ध होता है। इस प्रकार अभिकर्ता मालिक और दूसरे व्यक्ति के मध्य संविदात्मक सम्बन्ध सृजित करता है, परन्तु स्वयं संविदा से उस समय तक आबद्ध नहीं होता है, जब तक उसके मालिक द्वारा ऐसा कोई तत्प्रभावी संविदा उनके पक्ष में नहीं कर दिया जाता है।

विधिमान्य अभिकरण के निर्माण के लिए मालिक का संविदा करने में सक्षम होना आवश्यक है। धारा 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है, वयस्क है और स्वस्थचित्त का है, अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। एक अवयस्क अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि धारा 183 अभिकर्ता नियोजन करने में सक्षम व्यक्ति का उल्लेख करती है।

Scanned with CamScanner

P-3 अभिकरण (Agency)

मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ अर्थात विकृत चित व्यक्ति द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा (Power of Attorney) कभी माना जाता है इसके आधार पर कार्य करने के प्राधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। परन्तु यह उल्लेखनीय है अभिकर्ता का संविदा करने में सक्षम होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अवयस्क भी अभिकर्ता नियुक्त हो सकता है। धारा 184 के अनुसार जहाँ तक मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है परन्तु यदि अभिकर्ता वयस्क और स्वस्थचित का नहीं है तो वह अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अभिकरण के निर्माण के लिए अर्थात अभिकरण की संविदा की वैधता के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। (धारा 185)

मान्य अभिकरण के मुख्य तत्व (Essential ingredients of valid Agency)

(i) मालिक संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए धारा - 183
(ii) कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है (धारा 184)
(iii) अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। (धारा 185)।

Scanned with CamScanner